संख्या: 2—20/2015—ई0एक्स0 एन0—एच0—स्थापना—
आबकारी एवं कराधान विभाग
हिमाचल प्रदेश
दिनांक: शिमला—9 ,2020

कार्यालय आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पीईआर(एपी) सी—बी (2)—1/2019 दिनांक 22 अप्रेल, 2020 की अनुपालना में विभागीय जांच समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अनुबंध कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 30.09.2017 को अनुबन्ध आधार पर (03) तीन वर्ष का सेवाकाल/कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, को उनके द्वारा निम्नवर्णित नियम व शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित कर सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने की तिथि से वेतनमान Rs. 5910-20200+2000 ग्रेड पे में नियमित किया जाता है :—

आशुटंकक

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पता	कर्मचारी की जन्म तिथि	अनुबंध आधार पर नियुक्ति की तिथि तथा पदनाम (आशुटंकक)	वर्तमान नियुक्ति का स्थान
1	श्री ज्ञान सिंह, आशुटंकक	S/o Sh. Roop Singh Vill. Shuhawal PO. Baldyan Tehsil& Distt. Shimla HP-171007	19.03.1993	04.03.2017 (AN)	सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी काला अम्ब जिला सिरमौर
2	मीना देवी, आशुटंकक	D/o Sh. Munshi Ram Vill. Kamyana PO. Poabo Tehsil & Distt. Shimla HP-171006	10.07.1991	08.03.2017	सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी बरोटीवाला जिला सोलन
3	श्रीमती सरसवती ठाकुर आशुटंकक	D/o Sh. Dayal Singh Thakur, Vill. Khanola PO. Summer Kot Tehsil Rohru Distt. Shimla HP-171224	01.09.1991	15.03.2017	उप—आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन
4	सुश्री किरन शर्मा, आशुटंकक	Sh. Roop Ram Q No. 7 Daizy Bank Estate Lower Jakhoo Shimla HP-171001	17.09.1993	03.03.2017 (AN)	संयुक्त—आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उडन दस्ता परमाणु जिला सोलन

Scanned with CamScanner

5	श्रीमती नीना शर्मा, आशटंकक	Sh. Manohar Lal, Vill. Khajr PO Kftu Tehsil Kandaghat Distt. Solan HP- 173207	19.10.1991	04.03.2017 (AN)	उप–आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी सिरमौर
6	श्री सूरज ठाकुर, आशुटंकक	Sh. Ishwar Dutt Vill. Phaya PO Dhari Tehsil & Distt. Shimla HP- 171219	03.12.1993	04.03.2017	सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी पोंटा वृत जिला सिरमौर
7.	श्रीमती पूजा शर्मा, आशुटंकक	Sh. Rajender Kumar Vill. Jadhana PO Dhari Via Shogi Tehsil & Distt. Shimla HP- 171219	15.02.1989	09.03.2017	सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी परवाणु वृत जिला सोलन
8.	सुश्री तनुजा, आशुटंकक	D/o Sh. Mohan Singh Vill. Kashmari PO Domehar Bani Tehsil Kandaghat HP-173215	02.06.1992	06.03.2017	उप–आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी बी.बी.एन.बददी जिला सोलन
9.	सुश्री कंचन देवी, आशुटंकक	D/o Sh. Vinod Kumar C/o Het Ram Chauhan Lambi Building Cemetary Road Sanjauli Shimla HP-171006	01.08.1991	07.03.2017 (AN)	सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी घुमारवीं जिला बिलासपुर
10.	सुश्री रीना शर्मा, आशुटंकक	D/o Sh. Prem Chand Vill. Bathmana PO Jabri Tehsil & Distt. Shimla HP-171103	03.09.1992	07.03.2017	उप–आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन
11.	श्रीमती कृष्णा देवी	D/o Sh. Prabh Dyal Vill. Syathi PO Sajao Piplu Tehsil Lad Bharol Distt. Mandi HP-176126	15.09.1982	02.03.2017	उप–आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर
12.	सुश्री आरती, आशुटंकक	D/o Sh. Kishan Lal Vill Pagog PO AG Shimla Distt. Shimla	04.12.1992	04.03.2017	उप–आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर
13.	श्री भूपेन्द्र सिंह	Sh. Sudesh Kumar, H No. Tehsil & Distt. Shimla HP-171011	18.04.1990	15.03.2017	सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, मैहथपुर वृत जिला उना
14.	सुश्री किरन, आशुटंकक	D/o Sh. Ani Chand, Vill Halti PO Jubber Hatti Tehsil & Distt. Shimla HP-171011	25.09.1992	07.03.2017	उप–आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर
15	सुश्री अर्चना चैन्था,आशुटंक	D/o Sh Jiya Lal Vill. Bonh PO Deori Khaneti Tehsil Kothjai Distt. Shimla HP-171204	21.03.1995	01.03.2017	सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, रोहड़ू जिला शिमला
16.	श्री राजेश कुमार, आशुटंकक	S/o Sh. Nek Ram, Vill Shilgaon PO ANandpur Tehsil & Distt. Shimla HP-173219	05.02.1991	08.03.2017	सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, नालागढ जिला सोलन

Scanned with CamScanner

17	सुश्री सीमा देवी, आशुटंकक	D/o Sh. Ramesh Chand, C/O Sunka Ram Vill Chauhan PO Bhota Tehsil Barsar Distt. Hamirpur HP-176041	09.06.1994	04.03.2017	उप–आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर
18	श्री प्रियंका देवी, आशुटंकक	D/o Sh. Jagroop Singh Vill. Baidi PO Bindi Tehsil & Distt. Kangra HP-176209	25.01.1993	03.03.2017	उप–आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

<u>नियम व शर्तेः–</u>

1. आशुटंकक के पद पर यह नियुक्ति अस्थाई है।
2. कर्मचारी को सरकारी सेवा से एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताये पदच्युत किया जा सकता है।
3. यह नोटिस सरकार तथा कर्मचारी किसी भी पक्ष द्वारा दिया जा सकता है। नियुक्ति करने वाले प्रधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उसकी सेवाओं को एक मास का वेतन भत्तों के समान राशि देकर समाप्त कर सकता है।
4. कर्मचारी दो वर्षो की अवधि तक परिवीक्षा अवधि में रहेगा।
5. कर्मचारी को निष्पक्षता, ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के लिये भारतीय संविधान की शपथ ग्रहण करनी होगी कि वह निष्पक्षता, ईमानदारी तथा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की भारतीय संविधान की शपथ ग्रहण करेगा।
6. कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर की जा सकती है ।
7. कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश बिवरेजिज लिमिटेड में भी की जा सकती है।
8. कर्मचारी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मूल रूप में उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने के समय प्रस्तुत करेगा।
9. कर्मचारी यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि यदि वह विवाहित है तो उसकी केवल एक ही पत्नी/पति है ।
10. कर्मचारी की नियुक्ति संलग्न प्रपत्र–संख्या 9.1 पर सम्बंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापित चरित्र और उनके द्वारा दिए गए सरकारी सेवा के लिए उपयुक्तता के आधार पर होगी ।

13 कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपनी स्वस्थता संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा उसके उपरान्त ही उसकी उपस्थिति ली जाएगी ।

11. कर्मचारी किन्ही दो राजपत्रित अधिकारियों से जो उसे लगभग तीन वर्ष से जानते हों से अपने अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेगा ।

12. यदि कर्मचारी आरक्षित वर्ग से सम्बध रखता है तो वह इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

यदि उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव उम्मीदवार को स्वीकार्य हो तो उसे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर–2 अपनी उपस्थिति सूचना उपरोक्त तालिका में उम्मीदवार के नाम के आगे दर्शाए गऐ कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ।

आदेशानुसार
आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी
हिमाचल प्रदेश शिमला–9

Scanned with CamScanner

पृष्ठांकन संख्याः 2–20/2015–ई0एक्स0 एन0–एच0–स्थापना–8476-8511 8-5-2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) को उनके कार्यालय पत्र संख्याः पीईआर(एपी) सी–बी (2)–1/2019 दिनांक 22 अप्रेल, 2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) हि0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. पुलिस अधीक्षक शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर व बिलासपुर को कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 9.1 पर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करे।
4. अतिरिक्त/उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (द0क्षे0/उ0क्षे0) शिमला/पालमपुर को, सूचनार्थ प्रेषित है और संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी उड़न दस्ता परवाणु जिला सोलन।
5. उप आयुक्त राज्य कर व आबकारी, शिमला, सोलन, बी0बी0 एन0 बद्दी, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर व बिलासपुर को इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने से पूर्व उपरोक्त वर्णित नियम व शर्तों की अनुपालना कर्मचारी से सुनिश्चित की जाए। यदि कर्मचारी समस्त नियम व शर्तों की अनुपालना उपस्थिति सूचना से पूर्व नहीं करता है तो उसका नियमितिकरण रद्द समझा जाएगा। इस आशय की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. आई0टी0 शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कार्यालय आदेश शीघ्र विभागीय साईट पर अपलोड किया जाए।
7. व्यक्ति विशेष/गार्ड फाईल ।

डा0 के0आर0 सेहजल (हि0प्र0से0)
अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी(प्रशा0)
हिमाचल प्रदेश शिमला–9

Scanned with CamScanner